

:- अधिसूचना :-

रॉची,

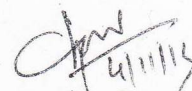
दिनांक :- 6-11-12

अधिसूचना सं. : 02/स्था.(एम.ए.सी.पी.)-17-01/2012-6567/राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग झारखण्ड के संकल्प संख्या-03/एम.-06/प्रो.-02/2002-5207/वि. दिनांक 14.08.2008 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर झारखण्ड अभियंत्रण सेवा (जल संसाधन) के अभियंताओं को संवर्ग में प्रथम योगदान से लगातार 12 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर लिये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने स्तम्भ-05 में उल्लिखित तिथि एवं वेतनमान में प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ उच्च संवर्गीय पद उपलब्ध होने की तिथि तक दिया जाता है।

क्र.	पदाधिकारी का नाम	आई.डी.	पद सोपान में योगदान की तिथि	प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत लाभ प्रदान करने की तिथि, वेतनमान 10000-15200 पुनरीक्षित 15600-39400 ग्रेड पे 6600/-	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री वीरेन्द्र कुमार	4405	24.05.95	24.05.07	
2.	श्री फणीभूषण	4411	26.05.95	26.05.07	
3.	श्री संजय कुमार	4413	22.05.95	22.05.07	
4.	श्री जितेन्द्र पासवान	4421	18.05.95	18.05.07	
5.	श्री सुरेश पासवान	4432	17.05.95	17.05.07	
6.	श्री सुरज प्रकाश चौधरी	4457	25.08.95	25.08.07	
7.	श्री सुबास दास	4461	25.08.95	25.08.07	
8.	श्री अशोक कुमार	4486	03.07.95	03.07.07	
9.	श्री अमरेन्द्र गांधी	4544	21.08.95	21.08.07	
10.	श्री अशोक कुमार	3434	26.06.87	09.08.99	
11.	श्री मिथिलेश कुमार	4390	20.05.95	20.05.07	
12.	श्री संजीव कुमार	4388	18.05.95	18.05.07	

- यह योजना दिनांक 09.08.1999 से प्रभावी है, किन्तु इसके अंतर्गत वित्तीय लाभ दिनांक 15.11.2000 से देय होगा।
- यह वित्तीय उन्नयन योजना व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।
- इस योजनांतर्गत वित्तीय उन्नयन हेतु संबंधित कर्मियों के वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.08.2002 की कंडिका-XII में निहित प्रावधान के आलोक में औपबंधिक रूप से किया जायेगा। सम्पुष्टि के क्रम में यदि पाया जाता है कि दिया गया वित्तीय उन्नयन गलत है या इसके चलते अधिक भुगतान हुआ है तो अधिक भुगतान की गई राशि एक मुश्त वसूल कर ली जायेगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के सचिव।

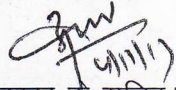
ज्ञापांक :-

6567

रॉची, दिनांक:-

6-11-13

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को अधिसूचना की तीन मूल प्रतियों (सी.डी. सहित) के साथ गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट में प्रकाशनोपरांत प्रकाशित गजट की 200(दो सौ) प्रतियों विभाग को अभिलेख हेतु भेजने की कृपा की जाय।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :-

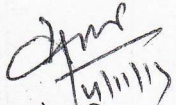
6567

रॉची, दिनांक :-

6-11-13

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखंड, रॉची, पो0-हिन्, रॉची/ उप सचिव, वित्त(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखंड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि अपने अभिलेख से योगदान की तिथि एवं सेवा में टूट संबंधी आवश्यक जाँच कर वेतन पुर्जा निर्गत किया जाय।


सरकार के सचिव।

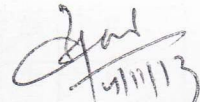
ज्ञापांक :-

6567

रॉची, दिनांक :-

6-11-13

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मंत्रीमंडल(निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रॉची/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखंड, रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव (प्रबंधन कोषांग सहित)/ सभी संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ सभी संबंधित अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड/ वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं 2, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।

